



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सवाई माधोपुर
ज़िला - सवाई माधोपुर
जाति प्रमाण - पत्र



क्रमांक: RJ108/2017/राजस्थ विभाग/जाति का प्रमाण-पत्र (अ.जा./अ.ज.जा.) / 17043804078

दिनांक: 20-06-2017

आवेदक का आधार नम्बर :

आवेदक/परिवार के मुखिया का नामापाह फाई संख्या :

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री प्रियंका मीना पुत्री श्री हनुमान प्रसाद मीना गांव/नगर ग्राम सूरवाल गोमली का वाड़ा तहसील व जिला - सवाई माधोपुर जिला/डिवीजन सवाई माधोपुर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में 9 MINA (9 मीना) जाति/समुदाय का है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियां (संशोधन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (संघ व कर्मांतर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962, संविधान (पांडेचरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

सुश्री प्रियंका मीना गांव / नगर ग्राम सूरवाल गोमली का वाड़ा तहसील व जिला - सवाई माधोपुर जिला / डिवीजन सवाई माधोपुर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में समान्यतया रहता / रहती है।

नोट

1. यहां प्रयोग साधारणतः निवासी का अर्थ नहीं होगा जो इन प्रावधानों के अन्तर्गत 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय, अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. एम. 21137/राज.जे.ई./कम्प्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजों की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र बराल किया जा सकेगा।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पर एवं सम्बंधित दस्तावेजों मिलने के सम्बन्ध में प्रार्थी को सूचित किया जायेगा जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या : 170045274694

आवेदक अधिकारी, सवाई माधोपुर

Signature valid

Digitally signed by
LAXMIKANT MISHRA

Date: 2017.06.20

16:53:30

Reason: Approved

Location: Rajasthan



E 1279005

170045274694